|| कार्यालय जिलाधिकारी गढवाल ||
Email dmgarhwal@gmail.com Phone;01368&222250@Fax:222080

भूमि अर्जन हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना (अनुपूरक)

संख्याः– 301 / आठ–भू0अ0(2017–18) पौड़ी दिनांक 3 जून 2019

परियोजना का नाम–उत्तराखण्ड राज्य में 126 किमी0 ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण।

उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना, अर्थात ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन के निर्माण के लिए पौड़ी जिले के अन्तर्गत ग्राम दिखोल्यूँ की 0.630 है0 निजी नाप भूमि का अर्जन "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया गया है।

ग्राम दिखोल्यूँ में पूर्व अर्जित क्षेत्रफल 0.630 है0 के अतिरिक्त ग्राम दिखोल्यूँ में प्रस्तावित लिंक मार्ग के निर्माण के समरेखण में सम्मिलित खसरा संख्या 96 क्षेत्रफल 0.110 है0 अतिरिक्त निजी नाप भूमि का अनुपूरक भू–अर्जन प्रस्ताव रेल विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित नाप भूमि (संरचना सहित या उसके बिना) जिसका अर्जन भारतीय रेल (भारत सरकार) के नाम पर "भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2014 के अन्तर्गत किया जाना है। जिसका संयुक्त निरीक्षण रेल विकास निगम लि0 के साथ किया गया का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	96 म0	संयुक्त	कृषि	0.110	मुकेश,राकेश पुत्रगण चैतराम, पदमा देवी पत्नी चैतराम, जॅनार्द्धन प्रसाद पुत्र मुकुन्दराम, अभिषेक, आशीष पुत्रगण विनोद कुमार विनीता देवी पत्नी विनोद कुमार	97	115	95	104	–	–	–	–

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा–11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलक्टर के कार्यालय में और रेल विकास निगम श्रीकोट के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट राजस्व एवं अर्जन निकाय के अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात, कय–विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा–15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो स्वयं उपस्थित होकर या बजरिये अधिवक्ता के माध्यम से फाईल किये जा सकेगें।

स्थान–पौड़ी।
दिनांक

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
कलक्टर,गढवाल।

1–प्रतिलिपिः– अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में कराने का कष्ट करें तथा संबंधित गजट की 100 प्रतियां अभिलेख हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– महानिदेशक, सूचना निदेशालय देहरादून को अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

3– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–3, देहरादून को शासनादेश संख्या–87/xviii(3) / 2016–20(01)/2014, दिनांक 09 फरवरी 2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के कम में।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी।

6– मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम, लि0, ब्लाक नं0–04, ऋषिलोक, गढवाल मण्डल विकास निगम

7– प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 पौड़ी को समुचित सरकार की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

8– उपजिलाधिकारी श्रीनगर।

9– खण्ड विकास अधिकारी खिर्सू, जनपद– गढ़वाल।

10– ग्राम प्रधान डुंगरीपन्थ को अपने सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
कलक्टर,गढवाल।